JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

"जनजातीय समुदाय में विधवा महिलाओं की स्थिति-एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"
(गुजरात राज्य के साबरकांठा और अरवल्ली जिले के संदर्भ में)

शैलेश कुमार डेडून

पीएच डी.स्कॉलर

समाजशास्त्र भवन

सौराष्ट्र विश्वविद्यालय- राजकोट

सारांश:-

दुनिया और देश की ५० फीसदी आबादी महिलाएं हैं। ये महिलाएं देश के समाज और परिवार का अभिन्न अंग हैं। इनमें आदिवासी समुदाय की विधवाएं भी शामिल हैं। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति समय के साथ बदलती रही है जिस स्त्री को ऋग्वेद में प्रमुख स्थान प्राप्त था, वह अनु-वैदिक युग में अधीनस्थ पद पर आ गई और धीरे-धीरे स्वतंत्र भारत के राज्य संविधान, सामाजिक युग में धकेल दी गई वैधीकरण, शहरीकरण, प्रवासन, शिक्षा, महिलाओं के प्रति बदलते मूल्यों आदि ने महिलाओं की स्थिति को बदल दिया है, दुनिया के अधिकांश समाजों में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में कम मानी जाती है व्यक्तिगत जीवन में विधवापन की समस्या भारत के लिए अनोखी है यह एक ऐसी समस्या है जो आदिवासी महिलाओं को नहीं बल्कि दुनिया भर की महिलाओं को प्रभावित करती है, पति के मरते ही परनीता को विधवा और उसके साथ वैधव्य का तमगा मिल जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसे कुछ नियमों और धार्मिक, सामाजिक मानदंडों का पालन करना पड़ता है। उसे जीवन का सामना करना पड़ता है, उसके पति के चले जाने के बाद, बाकी सभी लोग उसकी उपेक्षा करते हैं और उसके प्रति घृणा और तिरस्कार दिखाते हैं। वैदिक काल के साहित्यिक साक्ष्यों से स्पष्ट है कि तब भी विधवाओं को किसी भी शुभ अवसर पर उपस्थित होना वांछनीय नहीं माना जाता था। रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण विधवाओं की व्यक्तिगत समस्याएँ आज भी नहीं बदली हैं। पीड़ा और संघर्ष बहुत है। यह एक सामाजिक समस्या है। फिर भी इसकी गंभीरता को कोई नहीं समझता। केवल महिलाओं को ही इसका दर्द चुपचाप सहना पड़ता है।

यह जानना महत्वपूर्ण है कि आदिवासी समुदाय में पति की मृत्यु के बाद निराश्रित विधवा के साथ क्या होता है, 'विधवा' का समर्थन करने वाले बहुत कम और अपमानजनक व्यक्ति अधिक होते हैं।जी हां, आदिवासी समुदाय में विधवा महिला का जीवन दुखद

समय से शुरू होता है। क्योंकि कुछ परिवारों में पति ही घर संभालने वाले की भूमिका निभाता है लेकिन कुछ परिवारों में बेटे किशोरावस्था में होते हैं और कुछ परिवारों में ऐसे परिवार नहीं होते जो जिम्मेदारी उठा सकें महिला पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वह वर्तमान जीवन कैसे व्यतीत करे, सबसे पहले बच्चों का भरण-पोषण कैसे करे, बच्चों को शिक्षा कैसे दे, शिक्षा का खर्च कैसे उठाए, सामाजिक रिश्ते कैसे निभाए, बीज कौन बोएगा। खेत में फसल, आदि जैसे प्रश्न उठते हैं, करण या आदिवासी समुदाय के अधिकांश परिवार खराब आर्थिक स्थिति में हैं और अपने पतियों की सुरक्षा के लिए उनके पास जो भी सुविधाएं थीं, उनका उपयोग करते थे। चला गया है, क्योंकि आदिवासी समुदाय की अधिकांश विधवा महिलाओं की मृत्यु लंबी बीमारी के कारण हो गई है, इसलिए वे आर्थिक रूप से गरीब हो गई हैं, क्योंकि कुछ परिवारों ने अपनी संपत्ति गिरवी रख दी है। अब आदिवासी विधवा महिलाएं ऐसी स्थिति से कैसे संघर्ष करती हैं इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, आदिवासी समुदाय की विधवाओं में शिक्षा का स्तर कम होने के कारण कुछ विधवाएं सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाती हैं। यह समझना जरूरी है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो समाज सेवा करते हैं, जिनकी सेवा करने की इच्छा होती है और जो किसी भ्रामक स्थिति के कारण विधवाओं की मदद नहीं कर पाते।

मुख्य कीवर्ड; आदिवासी, विधवा, लाभ, सहयोग, कृषि, श्रम, आवश्यकता

१. परिचय;-

'विधवा' शब्द लगभग ५००० वर्ष पुराना है। संस्कृत में 'धावा' का अर्थ पति या पति होता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे 'विधवा' कहा जाता है पति की मृत्यु हो जाती है, पर्निता को 'विधवा' का संबोधन मिलता है और इसके साथ ही वह विधवा हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप उसे कुछ नैतिक नियमों के साथ-साथ धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाजों का भी पालन करना पड़ता है। जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। पति के चले जाने पर सभी लोग उसकी उपेक्षा करते हैं और उसके प्रति घृणा और तिरस्कार का भाव रखते हैं। वैदिक काल के साहित्यिक साक्ष्यों से पता चलता है कि तब भी विधवाओं को महत्व दिया जाता था इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर उनकी उपस्थिति वांछनीय नहीं मानी जाती थी। यह मान्यता आज भी प्रचलित है। समस्याएँ, पीड़ाएँ और संघर्ष बहुत हैं। महिला विधवापन एक सामाजिक समस्या है। फिर भी इसकी गंभीरता को कोई नहीं समझता। इसे बनाने में पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के मूल्य, परंपराएँ और दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं महिला विधवापन अद्वितीय है। पितृवंशीय विरासत की प्रचलित प्रथा के कारण, महिलाएँ विशेष रूप से विधवाएँ स्वामित्व रखती हैं अधिकार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ज्यादातर मामलों में वे नकदी या जमीन जैसी संपत्ति से वंचित रह जाते हैं, अशिक्षा या अल्प शिक्षा के कारण उन्हें आर्थिक व्यवहार्यता हासिल नहीं होती है, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है जीवन की आवश्यकताएँ जैसे आश्रय, रोटी, कपड़ा आदि प्राप्त करना कठिन है। इसे खर्च करना होगा. ग्रामीण, शहरी या आदिवासी समुदाय के अनुसार, जाति और वर्ण के अनुसार, धर्म के अनुसार, वर्ग के अनुसार, पेशे के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, परिवार के आकार के अनुसार 'विधवा' महिलाओं की स्थिति या स्थिति में कई अंतर हैं भारतीय हिंदू समाज में तथा ऊंची जातियों में विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। जबकि निम्न और पिछड़े वर्गों में उनकी स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी लगती है कि वे घर से बाहर जा सकते हैं, समझने से उनकी स्थिति और स्थिति को समझा जा सकता है। गरीब विधवाएँ, धनी विधवाएँ। विधवाएँ, संपत्तिहीन

विधवाएँ, ज़मींदार विधवाएँ, भूमिहीन विधवाएँ, नियोजित विधवाएँ, श्रमिक विधवाएँ, शिक्षित विधवाएँ, अशिक्षित विधवाएँ, ग्रामीण विधवाएँ, शहरी विधवाएँ आदि।

२. पिछले अध्ययनों की समीक्षा:-

(१). डॉ. जे.सी. पटेल "ग्रामीण गुजरात की आदिवासी विधवाएँ एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"वर्तमान अध्ययन एक प्रमुख शोध परियोजना के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था जिसमें गुजरात के नौ जिलों का चयन किया गया था और प्रत्येक जिले से १०० उत्तरदाताओं के अनुसार कुल ९०० विधवाओं का चयन किया गया था। स्वास्थ्य, पोशाक, शुभ अवसरों में विधवाओं को समाज द्वारा अशुभ माना जाता है ।भी विधवाओं को उनके पतियों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, साथ ही विधवा पेंशन योजनाएं, विवाह पर युवा विधवाओं के विचार आदि भी इस अध्ययन में शामिल हैं।

(२), नादाबेन जे कटारा (२०००) "आदिवासी विधवा बहनों का अध्ययन"(आदिवासी डूंगरी गार्सिया के संबंध में)

प्रस्तुत अध्ययन में साबरकांठा जनजाति डुंगरी गार्सिया की 70 आदिवासी विधवा बहनों का अध्ययन किया गया जिनमें विधवाओं का मुख्य कार्य कृषि था।विवाह की आयु, विधवा का लेबल कितने वर्ष दिया गया कम उम्र में विधवा होने वाली महिलाओं का जीवन संघर्ष से भरा होता था। अधिकांश विधवा महिलाएँ अशिक्षित होती थीं और शुभ अवसरों पर यौन शोषण तथा उत्पीड़न का शिकार होती थीं इस अध्ययन में संपत्ति आदि को शामिल किया गया है।

(३). प्रोफाइन वी नॉर्वे (२००१) "आदिवासी विधवा बहनों का अध्ययन"(भिलोडा तालुक के संबंध में)

वर्तमान अध्ययन में साबरकांठा के भिलोडा तालुक की ५० विधवा बहनों का चयन किया गया है। इस अध्ययन में अशिक्षित विधवा महिलाओं के अनुपात, शादी की उम्र, विधवा होने की उम्र और विधवा महिलाओं के दबाव को देखा गया है दहेज, संपत्ति जब्त करने के लिए उत्पीड़न और शुभ अवसरों पर अशुभ मानना आदि आ रहा थावह अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही थी.

(४). रेखाबहन मेहता (२००३) "आदिवासी क्षेत्रों में निराश्रित विधवा सहायता योजना और निराश्रित वृद्धावस्था पेंशन योजना का अध्ययन"

वर्तमान अध्ययन में यह अध्ययन आदिवासी क्षेत्र की ८० निराश्रित विधवाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। यह अध्ययन आदिवासी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद से किया गया है।महंगाई के कारण व्यवसाय और पेंशन से मिलने वाली आर्थिक मदद से जीवनयापन की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है।

उपरोक्त अध्ययनों में समाज में आदिवासी विधवा महिलाओं की स्थिति, विधवा पेंशन योजना, विधवा विवाह पर विचार, काम, संपत्ति के लिए उत्पीड़न, यौन शोषण, दहेज के लिए दबाव, बच्चों को शिक्षा से वंचित करना, जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करने में कठिनाई पेंशन आदि से। उपरोक्त अध्ययन मेरे विषय से संबंधित है। लेकिन कुछ चीजें इसमें शामिल नहीं हैं। किस आदिवासी में विधवा को खेती कौन देता है, बीमारी में सबसे अधिक सहायता कौन करता है, संकट निवारण योजना, भूमि का उत्तराधिकार आदि मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है।

अध्ययन के उद्देश्य :-

(१) आदिवासी विधवा महिलाओं की सामाजिक स्थिति जानने के लिए,

(२) आदिवासी विधवाओं की वित्तीय स्थिति जानने के लिए,

(३)आदिवासी विधवा महिलाओं को सरकारी योजना के लाभ की जानकारी के संबंध में जागरूकता उद्देश्य,

४ . अनुसंधान पद्धति:

(अ) प्राथमिक सूचना;-

प्रो रॉबर्टसन और राइट के अनुसार, किसी शोध समस्या के विशिष्ट उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई जानकारी प्राथमिक डेटा कहलाती है, ऐसी जानकारी के अधिग्रहण और प्रकाशन की जिम्मेदारी भी उस मूल व्यक्ति की होती है जिसने डेटा एकत्र किया है। एकत्र किए गए डेटा को प्राथमिक डेटा कहा जाता है .

(ब) द्वितीयक जानकारी;-

द्वितीयक डेटा को तृतीयक डेटा भी कहा जा सकता है। अन्य उद्देश्यों के लिए एकत्र किया गया डेटा, लेकिन अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, उसे 'द्वितीयक' डेटा कहा जाता है।

प्रदर्शन की विधि;

वर्तमान अध्ययन में यादृच्छिक प्रदर्शन(गैर यादृच्छिक नमूनाकरण)उपयोग किया गया है, एक नमूने को गैर-यादृच्छिक नमूना कहा जाता है जब जनसंख्या की सभी इकाइयों को नमूने में चुने जाने की समान संभावना नहीं होती है।

डेटा संग्रहण के उपकरण:-

वर्तमान अध्ययन के लिए यात्रा कार्यक्रम,(साक्षात्कार का समय)का उपयोग किया गया है, गुड एण्ड हेट साक्षात्कार अनुसूची द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार, साक्षात्कार अनुसूची प्रश्नों का एक जटिल समूह है, यह प्रश्नों की श्रृंखला की एक सूची है जिसमें साक्षात्कारकर्ता अध्ययन के तहत व्यक्ति से आमने-सामने मिलता है और उसके अनुसार प्रश्न पूछता है सूची और उत्तर इस सूची में साक्षात्कारकर्ता द्वारा स्वयं दिए गए हैं।

५. सूचना का वर्गीकरण और विश्लेषण;

विश्लेषण की मुख्य प्रक्रिया सभी डेटा एकत्र करने के बाद की जाती है, हालाँकि, डेटा संग्रह शुरू होते ही विश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, हालाँकि जिसे हम विश्लेषण का व्यवस्थित रूप कहते हैं वह एक विशेष प्रक्रिया है और इसका उपयोग सभी के बाद किया जाता है जाकर डेटा इकट्ठा किया जाता है.

एकत्र किए गए डेटा की मात्रा को विशेषताओं की समानता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने और विभिन्न संस्थाओं के बीच एकता को प्रकट करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है।

उत्तरदाताओं की बुनियादी जानकारी दर्शाने वाली तालिका,

तालिका क्रमांक .१

अनु. नं	विवरण	वर्ग	जो नंबर	प्रतिशत
१	आयु	२३ से ३५	०७	१४%
		३६ से ५०	१६	३२%
		५१ से ६५	२१	४२%
		६५ से अधिक	०६	१२%
२	शिक्षा	साक्षर	२३	४६%
		निरक्षर	२७	५४%

उपरोक्त तालिका से यह कहा जा सकता है कि २० से ३५ वर्ष की आयु के उत्तरदाताओं का अनुपात १४ प्रतिशत, ३६ . से ५० वर्ष की आयु के उत्तरदाताओं का अनुपात ४२ प्रतिशत और ६५ वर्ष से अधिक आयु के उत्तरदाताओं का अनुपात १२ प्रतिशत, ५१ से ६५ वर्ष की आयु के उत्तरदाताओं का अनुपात है। वर्ष. उत्तरदाताओं का अनुपात

उपरोक्त तालिका के परिशिष्ट २ से यह कहा जा सकता है कि साक्षर उत्तरदाताओं का अनुपात 46 प्रतिशत पाया जाता है जबकि निरक्षरता का अनुपात ५४ प्रतिशत पाया जाता है, उत्तरदाताओं में सबसे अधिक निरक्षरता पाई जाती है,

बीमारी के समय खेती करने और मदद करने के तरीके के बारे में जानकारी दिखाने वाली एक तालिका

तालिका नं. २

अनु. न	**विवरण**	**वर्ग**	**जो नंबर**	**प्रतिशत**
१	पेशा	खेती	५०	**१००%**
		पशुपालन	३७	**७४%**
		श्रम	२२	**४४%**
२	वार्षिक आय	५ से १०, हजार	०६	**१२%**
		११ से १५ हजार	११	**२२ %**
		१६ से २० हजार	२३	**४६ %**
		२१ से २५ हजार	०७	**१४%**
		२६ हजार से ज्यादा	०३	**०६%**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से पता चलता है कि १०० % उत्तरदाता अध्ययन के अंतर्गत हैंकृषि में लगे हुए पाए गए, इसके अलावा (७४ %) उत्तरदाता पशुपालन में लगे हुए थे, और (४४ %) उत्तरदाता श्रम में लगे हुए पाए गए। साथ ही उत्तरदाताओं की वार्षिक आय पर नजर डालें तो १२ % उत्तरदाता ५ से १० हजार की आय अर्जित करते दिखे। और २२% उत्तरदाताओं को ११ से १५ हजार की आय हो रही थी और ४६% उत्तरदाताओं को १६ से २० हजार की आय हो रही थी और १४% उत्तरदाताओं को २१ से ५२ हजार की आय हो रही थी। केवल ०६% उत्तरदाता २६ हजार से अधिक कमाने वाले पाये गये।

इस सांख्यिकीय जानकारी से यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाता अपना मुख्य व्यवसाय खेती एवं पशुपालन कर रहे थे तथा कुछ उत्तरदाता मजदूरी का कार्य भी कर रहे थे, साथ ही आय की दृष्टि से अधिकांश उत्तरदाता १६००० रूपये की वार्षिक आय प्राप्त कर रहे थे से २० हजार तक. कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा, भूमि की मात्रा, बीज आदि कृषि उत्पादन के लिए उपयोगी होते हैं।

शासन की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने का वर्गीकरण

तालिका क्रमांक ३

१	विधवा पेंशन योजना	जरूरत पूरी हो गयी	०३	०६ %
		जरूरत पूरी नहीं होती	४७	९४ %
		अन्य कार्य भी करने होंगे	५०	१०० %
२	संकटमोचन योजना	फायदा	११	२२ %
		फायदा नहीं हुआ	३९	७८ %
		योग्य	३३	६६ %
		पात्र नहीं है	१७	३४ %
३	पुनर्वास सहायता के लिए कौशल प्रशिक्षण	प्रशिक्षण प्राप्त किया	०५	१० %
		कोई प्रशिक्षण नहीं मिला	४५	९० %
४	दुधारू पशुओं के लिए सहायता	हाँ	८	१६ %
		नहीं	४२	८४ %

(१) उपरोक्त तालिका के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ३६ प्रतिशत परिवार के सदस्य विधवा महिलाओं को खेती करने में मदद करते हैं, ६ प्रतिशत रिश्तेदार मदद करते हैं और ५८ प्रतिशत रिश्तेदार उन्हें खेती करने में मदद करते हैं, श्रमिकों का अनुपात सबसे अधिक है खेती अधिक पाई जाती है।

(२) ५४ प्रतिशत परिवार के सदस्य विधवा महिलाओं को बीमारी के दौरान मदद करते हैं, जबकि १६ प्रतिशत रिश्तेदार और १४ प्रतिशत सामाजिक संगठन पाते हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि सबसे अधिक मदद परिवार के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाती है।

(३) विधवा पेंशन योजना ०६ प्रतिशत विधवा महिलाओं की जरूरतों को पूरा करती है और ९४ प्रतिशत विधवा महिलाओं को उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, १०० प्रतिशत महिलाओं को अन्य काम करने की आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि अधिकांश विधवाएं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

(४) संकट मोचन योजना से लाभान्वित होने वाली विधवा महिलाओं की संख्या २२ प्रतिशत पाई गई है, ७८ प्रतिशत लाभ से वंचित पाई गई हैं, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लाभ से वंचित विधवा महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है, इस योजना के लिए ६६ प्रतिशत महिलाएं पात्र हैं, और ३४ प्रतिशत महिलाएं पात्र नहीं हैं, यह कहा जा सकता है कि पात्र विधवाओं का अनुपात सबसे अधिक है।

(५) पुनर्वास योजना के लिए प्रशिक्षित महिलाओं का अनुपात १० प्रतिशत है, और अप्रशिक्षित महिलाओं का अनुपात ९० प्रतिशत है, अप्रशिक्षित महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है।

(६) दुधारू पशुओं के लिए सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं का अनुपात १६ प्रतिशत है, जबकि सहायता से वंचित लाभार्थी महिलाओं की संख्या १६ प्रतिशत पाई गई है।

६ निष्कर्ष और सिफ़ारिशें;-

- २० से ३५ साल का आयु होना उत्तरदाताओं का अनुपात १४ प्रतिशत है,३६ से ५० साल का आयु होना उत्तरदाताओं का अनुपात ४२ प्रतिशत देखने के लिए मिला है,भी ६५ से अधिक आयु होना उत्तरदाताओं का अनुपात १२ प्रतिशत देखने के लिए मिला है,५१ से ६५ वर्ष नहीं उत्तरदाताओंअनुपात उच्चतम है.
- साक्षरताउत्तरदाताओं में ४६ प्रतिशत पाए जाते हैं जबकि निरक्षरता दर ५४ प्रतिशत है, उत्तरदाताओं में सबसे अधिक निरक्षरता पाई जाती है,
- जनजातीयविधवा महिलाओं का मुख्य व्यवसाय कृषि पाया जाता है।
- आदिवासी विधवाएँ कृषि के साथ-साथ पशुपालन और मजदूरी में भी संलग्न पाई गईं।
- बनामप्रवाह महिलाओं की वार्षिक आय सर्वाधिक १६ से २० हजार तक पाई गई।
- बनामप्रवाह पीएन्सन योजना से ०६% विधवा महिलाओं की जरूरतें पूरी हो जाती हैं और 94% विधवा महिलाओं की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, १००% महिलाओं को अन्य काम करने पड़ते हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि ज्यादातर विधवा महिलाओं को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
- डूब गयाफोड़ना योजना का फ़ायदा प्राप्तकर्ता विधवा महीनालाओस की संख्या २२ प्रतिशत है, ७८ प्रतिशत लाभ से वंचित हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि लाभ से वंचित विधवा महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है, ६६ प्रतिशत महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं, और ३४ प्रतिशत महिलाएं हैं पात्र नहीं हैं, यह कहा जा सकता है कि पात्र विधवाओं का अनुपात सबसे अधिक है।
- दोबारानिवास योजना के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया महिला का अनुपात १० प्रतिशत, और अशिक्षित महिलाओं का अनुपात ९०% है, अशिक्षित महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है।
- दूधअला जानवर के लिए सहायता प्राप्त किया एक औरतमहिलाओं का अनुपात १६ प्रतिशत है तथा सहायता से वंचित लाभार्थियों का अनुपात अधिक है, अत: कहा जा सकता है कि वंचित लाभार्थियों का अनुपात सबसे अधिक है।

६.१ निर्देश एवं महत्व :-

ग्राम पंचायतों को आदिवासी समुदाय की विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करने और प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया बनाने की आवश्यकता है, ताकि निश्चित रूप से विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ग्राम पंचायतें इस प्रक्रिया को बनाकर विधवाओं की मदद कर सकती हैं आदिवासी समुदाय की विधवाओं के लिए आपदा राहत योजना अनिवार्य है, जिससे उन्हें एक निश्चित तरीके से लाभ मिल सकता है, आदिवासी विधवाएं दूध देने के लिए गाय देती हैं , विधवाओं के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि विधवाओं को वित्तीय सहायता मिल सके ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। सरकार ने आदिवासी विधवाओं के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं लेकिन वे योजनाओं से वंचित रह जाती हैं क्योंकि कुछ लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं होती है सरकार द्वारा विधवाओं के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ महिलाओं को

मिले, ताकि पति की मृत्यु होने पर ग्राम पंचायत में दर्ज की जा सके। विधवा महिलाओं की सभी योजनाओं के संबंध में कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा की जानी चाहिए ताकि विधवा महिलाओं को आसानी से लाभ मिल सके, करण या निराश्रित विधवाएं वंचित रह जाती हैं इसलिए वे वंचित रह जाती हैं, इसलिए सरकार को गांव के सरपंचों और तलाटी से यह सुनिश्चित करना होगा कि विधवा महिलाओं को निश्चित रूप से लाभ मिले लाभ।पत्र प्राप्त करना होगा कि मेरे ग्राम पंचायत की सभी विधवा महिलाएँ जो पात्र हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। हां, ऐसे सख्त नियम का पालन करना जरूरी है.

७. निष्कर्ष;-

वर्तमान अध्ययन में अरावली जिले के मेघराज तालुक के आदिवासी क्षेत्र की आदिवासी विधवा महिलाओं को शामिल किया गया है, जो पहलू पिछले अध्ययन में शामिल नहीं थे, उन्हें इस अध्ययन में शामिल किया गया है, ५० विधवा महिलाओं को वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त करने के लिए गैर-यादृच्छिक नमूना पद्धति का उपयोग करके जनजातीय क्षेत्र का चयन किया गया और निष्कर्षों को वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकृत किया गया निकाले गए हैं, और निष्कर्षों के आधार पर, ऐसे सुझाव शामिल किए गए हैं जिनसे विधवा महिलाओं को लाभ हो सकता है,

८ . संदर्भ सूची;-

१. आदिवासी डूंगरी गरासिया ; आदिवासी डूंगरी गरासिया पंच की ओर

सामान्य आयोग; २०२३ से प्रकाशित,

२. डॉ. जयंतीलाल बामनिया- २०२० ; रिजर्व का परिचय,

३. डॉ जेसी पटेल – २००७ ; ग्रामीण गुजरात की आदिवासी विधवाएँ एक समाजशास्त्रीय अध्ययन,

४. नादाबेन जे कतर -२००० ; आदिवासी विधवा बहनों का एक अध्ययन,

५. प्रोफाइन वी नॉर्वे–२००१ ; आदिवासी विधवा बहनों का एक अध्ययन,

६. रेखाबेन मेहता–२००३ ;आदिवासी क्षेत्रों में निराश्रित विधवा सहायता योजना एवं निराश्रित वृद्धावस्था पेंशन योजना का अध्ययन,